

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.अ.1/साप्र/2/2012

जयपुर, दिनांक 17 JUL 2012

आदेश

निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किये जाते

क्र.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित/परिवर्तित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	33/07	डॉ० दिनेश कुमार गौतम चिकित्सा अधिकारी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	III/89 गांधीनगर	31.1.2035
2.	128/09	श्री काशीराम विधि सहायक श्रम आयुक्त, शांतिनगर, हसनपुरा, जयपुर	III/18 गांधीनगर (III/69 के स्थान पर)	31.1.2020
3.	131/09	श्री केशरगल सेनी, प्रयक्ता प्रोडक्शन, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजकीय रामवन्दर खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर।	III/32 गांधीनगर	30.6.2041
4.	132/09	डॉ० धर्मदेव यादव वरिष्ठ प्रदर्शक, जीव रसायन विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर।	III/96 गांधीनगर	31.3.2039
5.	13/2011	श्री जगदीश प्रसाद मीना आर.पी.एस. सहायक कमाण्डेंट 5वीं बटालियन, आर.पी.सी., घाटगेट, जयपुर (सौमिगत् निर्णय अनुसार)	III/116 एवीएस गांधीनगर	31.7.2018
6.	37/2011	श्री कैलाश विहारी माथुर कृषि पर्यवेक्षक, कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (पौध व्याधि) दुर्गापुरा, जयपुर	15/41 मालवीयनगर (15/47 के स्थान पर)	31.8.2015
7.	26/2012	डॉ० मन्मथ कुमार शर्मा रेजीडेंट सीरसस पैथोलोजी विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	१-13 जवाहरनगर	31.5.2040
8.	45/2012	डॉ० सुरेश लता वरिष्ठ प्रदर्शक (शरीर रचना विज्ञान विभाग) सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।	15/71 मालवीयनगर	28.2.2035
9.	57/2012	डॉ० ललित कुमार चौधरी मेडिकल ऑफिसर सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय, जयपुर	२-99 जवाहरनगर	30.11.2041
10.	66/2012	सुश्री जयदी टाटावत सहायक अभियन्ता सांवेजनिक निर्माण विभाग, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक प्रथम, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 34 विद्याधरनगर (जीए/III/टी-2 /90 के स्थान पर)	31.5.2047
11.	70/2012	श्री संतोष कुमार स्वामी वरिष्ठ निजी सहायक इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 16 विद्याधरनगर	30.6.2019
12.	71/2012	डॉ० जितेन्द्र कुमावत मेडिकल ऑफिसर (मेडिसिन) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 27 विद्याधरनगर	28.2.2035
13.	72/2012	श्री सोमेश्वर देवडा सहायक निदेशक (मोनिटरिंग) महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 28 विद्याधरनगर	31.7.2037


14.	75/2012	श्री दिनेश कुमार आर.ए.सी.एस (प्रशिक्षु) राजस्थान लेखा सेवा वित्त विभाग, हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर	जीए/III/टी-2/ 31 विद्याधरनगर	30.11.2045
15.	76/2012	श्री अनिल कुमार जगरवाल आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी (ब' क्षेत्र) जयपुर आयुर्वेद विभाग, जयपुर।	जीए/III/टी-2/ 38 विद्याधरनगर	30.4.2041
16.	77/2012	डॉ० विरेन्द्र कुमार सिनियर मेडिकल ऑफिसर (मेडिसिन) सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	जीए/III/टी-2/ 46 विद्याधरनगर	30.11.2039
17.	79/2012	श्री हरि ओम शर्मा जिला सांख्यिकी अधिकारी आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 56 विद्याधरनगर	31.5.2039
18.	82/2012	श्री रजनीश बैरवा सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर उप खण्ड 12 ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 60 विद्याधरनगर	30.6.2044
19.	83/2012	श्री प्रेम कुमार पटेल लेखाधिकारी (प्रशिक्षु) वित्त विभाग, हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 63 विद्याधरनगर	30.6.2042
20.	85/2012	श्री राकेश कुमार मोना सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग सचिवालय, जयपुर।	जीए/III/टी-2/ 83 विद्याधरनगर	30.6.2040
21.	90/2012	श्री रमेश निर्मल नर्स ग्रंथ प्रथम राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर	जीए/III/टी-2/ 91 विद्याधरनगर	31.10.2023
22.	91/2012	श्रीमती नीतू रस्तोगी वरिष्ठ अध्यापिका (अंग्रेजी) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, झोटवाडा, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 105 विद्याधरनगर	31.10.2031
23.	92/2012	श्री दिनेश कुमार राजस्थान लेखा सेवा प्रशिक्षु आर.ए.सी.एस. वित्त विभाग, हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 123 विद्याधरनगर	30.11.2045
24.	93/2012	डॉ० (श्रीमती) विनिता गोखर चिकित्सा अधिकारी राजकीय कावटिया अस्पताल, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 124 विद्याधरनगर	31.3.2032

शर्त:-

- आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारणा और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूली होगा।
- सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पर्यन्त आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पर्यन्त आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बना जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पर्यन्त उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।

7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृषया आवंटि के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटि अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
8. आवंटि को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी -
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. कम संख्या -5 पर अंकित श्री जगदीश प्रसाद मीना से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से


(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
6. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
7. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
8. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सैवायें, राजस्थान, जयपुर।
9. आयुक्त, श्रम विभाग, शांति नगर, हसनपुरा, जयपुर।
10. प्राचार्य, रामचन्द्र खेतान पोलिटिकल महाविद्यालय, गांधीनगर, जयपुर।
11. कमाण्डेन्ट, 5वीं बटालियन, आर.ए.सी., घाटगेट, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक, कृषि पौध व्याधि, दुर्गापुरा, जयपुर।
13. अधीक्षण अभियन्ता, एवं तकनीकी सहायक-1, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. सचिव, इन्द्रा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
15. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
16. निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
17. शासन उप सचिव, वित्त (जीएफएण्डएआर) विभाग, जयपुर।
18. जिला आयुर्वेद अधिकारी, 'ब' क्षेत्र आयुर्वेद विभाग, जयपुर।
19. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिक विभाग, आयोजना भवन, जयपुर।
20. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
21. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर।
22. अधीक्षक, राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर।
23. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, झोटवाडा, जयपुर।
24. अधीक्षक, राजकीय कावटिया अस्पताल, शास्त्रीनगर, जयपुर।
25. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटि से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटि द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
26. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0निगम लि0 गांधीनगर/जवाहरनगर/मालवीयनगर/विद्याधरनगर, जयपुर।
27. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
28. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
29. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
30. श्री काशीराम, विधि सहायक, श्रम आयुक्त, शांतिनगर, हसनपुरा, जयपुर को भेजकर लेख है कि परिवर्तित राजकीय आवास संख्या 111/18, गांधीनगर का निर्धारित अवधि में कब्जा लेकर पूर्व आवंटित राजकीय आवास संख्या 111/69, गांधीनगर रिक्त कर सूचित करावें।
31. श्री कैलाश बिहारी माथुर, कृषि पर्यवेक्षक, कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (पौध व्याधि) दुर्गापुरा, जयपुर को भेजकर लेख है कि परिवर्तित राजकीय आवास संख्या 15/41, मालवीयनगर, जयपुर का निर्धारित अवधि में कब्जा लेकर पूर्व आवंटित राजकीय आवास संख्या 15/47, मालवीयनगर, जयपुर रिक्त कर सूचित करावें।

o/c (Web.)
24-7-12

24/7/12
m/c

32. सूत्री जयपुर जयपुरा न्यायमणः जयपुरा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
प्रथम जयपुर को भेजकर जयपुर से कि. मी. निर्धारित राजकीय आवास संख्या क्रमांक 2/34 विभागाध्यक्ष जयपुर को निर्धारित अवधि में कब्जा लेकर पूर्ण निर्धारित राजकीय आवास संख्या क्रमांक 2/34 जयपुर विभाग को भेजकर करावे।

33. निदेशक, उद्यान विज्ञ. सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
34. संबंधित अधिकारीगण।
35. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
36. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
37. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
38. रक्षित पत्रावली।


(म.फूल देवद.)
शासन सहायक सचिव